भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2515

उत्तर देने की तारीख 13.03.2025

पीएमईजीपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता

2515. **श्री छोटेलालः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत अब तक कितने उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और इसके माध्यम से कितने रोजगार सृजित हुए हैं;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का एमएसएमई क्षेत्र, विशेषकर महामारी से प्रभावित उद्यमों के लिए ऋण सीमा बढ़ाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो संशोधित सीमा कब तक लागू होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

क): शुरुआत से वित्तीय वर्ष 2008-09 से लेकर वित्तीय वर्ष 2024-25 तक (दिनांक 06.03.2025 तक), देश भर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत 9.99 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों को 26,569.84 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिससे अनुमानित 81.50 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

ख): स्कीम के अंतर्गत नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंड का ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति
ii. इस स्कीम के अंतर्गत केवल पीएमईजीपी के अंतर्गत विशेष रूप से स्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए ही सहायता उपलब्ध है।
iii. विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक तथा व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक लागत वाली परियोजना स्थापित करने के लिए लाभार्थियों के पास कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
iv. पूंजीगत व्यय के बिना परियोजनाएं इस स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं हैं।
v. पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित सभी नई इकाइयों को इकाई के वास्तविक सत्यापन और पीएमईजीपी लाभार्थी ऋण खाते में मार्जिन मनी के समायोजन से पहले उद्यम पोर्टल के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाएगा।
vi. पीएमईजीपी के अंतर्गत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है।

वर्ष 2018-19 से, मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा उद्यमों को मौजूदा इकाइयों के उन्नयन के लिए सब्सिडी के साथ दूसरे ऋण के साथ सहायता प्रदान की जा रही है। दूसरा ऋण प्राप्त करने के लिए पात्रता के मानदंड निम्नानुसार हैं:

i. पीएमईजीपी के अंतर्गत दावा की गई एमएम सब्सिडी को 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि पूरी होने पर सफलतापूर्वक समायोजित किया जाना चाहिए तथा प्राप्त किए गए पहले ऋण का सफलतापूर्वक भुगतान किया जाना चाहिए।
ii. इकाई विगत तीन वर्षों से लाभ कमा रही हो।

(ग), (घ) और (ङ): वर्तमान में, महामारी से प्रभावित उद्यमों के लिए पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत ऋण सीमा बढ़ाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, स्कीम के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत को वर्ष 2022 से विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है, ताकि स्कीम का सब्सिडी लाभ अधिक उद्यमों तक पहुंचाया जा सके।

****